मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

बुधवार, दिनांक 7 मार्च, 2018 (फाल्गुन 16, शक संवत् 1939)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:02 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 11 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 एवं 12) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 144 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 146 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

2. बहिर्गमन

नाप तौल निरीक्षकों की नियुक्ति में अनियमितता सम्बन्धी तारांकित प्रश्न संख्या 10 (क्रमांक 2156) पर शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में इंडियन नेश्नल कॉंग्रेस के सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन किया गया.

3. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार, सदस्य की सुमावली ग्राम के बारादरी मंदिर से गुढा चम्बल नहर तक सड़क मार्ग निर्माण किये जाने,
(2) डॉ. मोहन यादव, सदस्य की उज्जैन संभाग में गरीब परिवारों को पट्टे न दिये जाने,
(3) श्री सुखेन्द्र सिंह, सदस्य की प्रदेश के हजारों स्कूल शिक्षक विहीन होने,
(4) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सदस्य की उज्जैन संभाग के शासकीय चिकित्सालयों की भोजनशालाओं को आई. एस. ओ. तथा नेशनल क्वालिटी इंश्योरेंस संस्थाओं से रजिस्टर्ड किये जाने,
(5) श्री रामनिवास रावत, सदस्य की शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में वाणिज्य एवं कृषि विज्ञान की कक्षाएं प्रारम्भ किये जाने,
(6) श्री सुन्दर लाल तिवारी, सदस्य की कुशाभाऊ ठाकरे जिला अस्पताल में सोनोग्राफी की सुविधा न होने से मरीजों को परेशानी होने,
(7) डॉ. रामकिशोर दोगने, सदस्य की भोपाल के शिवाजी नगर के मुख्य मार्ग पर 5 एवं 6 नंबर के बीच बने पार्क की दुर्दशा होने तथा
(8) श्री शैलेन्द्र जैन, सदस्य की प्रदेश में कार्यरत आंगनबाडी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को कार्यानुसार मानदेय प्राप्त न होने,

सम्बन्धी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत की गईं.

4. शून्यकाल में मौखिक उल्लेख

(1) विजया राजे सिंधिया कॉलेज में प्रोफेसर की नियुक्ति की जाना

श्री घनश्याम पिरौनियॉ, सदस्य द्वारा उल्लेख किया गया कि भाण्डेर विधान सभा क्षेत्रांतर्गत विजया राजे सिंधिया कॉलेज में लम्बे समय से प्रोफेसर्स की कमी है. अत: वहां उन की नियुक्ति शीघ्र की जाए ताकि वहां अध्ययन-अध्यापन का कार्य सुचारू रूप से हो सके.

(2) ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान पर सहायता राशि उपलब्ध कराया जाना

श्री रजनीश हरवंश सिंह, सदस्य द्वारा उल्लेख किया गया कि विधान सभा क्षेत्र केवलारी में और सिवनी जिले में लगभग 278 ग्रामों में भीषण ओलावृष्टि हुई है लेकिन शासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने कोई सुध नहीं ली है. इस कारण किसान 26 तारीख से भूख हड़ताल पर बैठे हैं. अत: कृपया उन्हें तत्काल सहायता राशि उपलब्ध कराई जाय.

(3) शासकीय महाविद्यालय की जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष को हटाया जाना

श्री सोहनलाल बाल्मीक, सदस्य द्वारा उल्लेख किया गया कि विधान सभा क्षेत्र परासिया में एक शासकीय महाविद्यालय की जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष के पद पर जिस व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया गया है उस पर धारा 110 और गुण्डा एक्ट की कार्यवाही चल रही है. उसे वहां से हटाया जाय.

5. अध्यादेशों का पटल पर रखा जाना.

श्री रामपाल सिंह, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने -
(क) मध्यप्रदेश हाई स्पीड डीजल उपकर अध्यादेश, 2018 (क्रमांक 1 सन् 2018),
(ख) मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट उपकर अध्यादेश, 2018 (क्रमांक 2 सन् 2018); तथा
(ग) मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2018 (क्रमांक 3 सन् 2018),
पटल पर रखे.

6. पत्रों का पटल पर रखा जाना.

(1) श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने मध्यप्रदेश वित्त निगम का 62 वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2016-17 पटल पर रखा.

(2) श्री जयभान सिंह पवैया, उच्च शिक्षा मंत्री की अनुपस्थिति में डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने -
(क) (i) अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.) का 49 वां प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2016-17 तथा
(ii) महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर (मध्यप्रदेश) का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-17,
(ख) मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2016-17 तथा
(ग) महात्मा गाँधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट, जिला सतना (म.प्र.) का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-17
पटल पर रखे.

(3) श्री जालम सिंह पटेल, राज्यमंत्री कुटीर एवं ग्रामोद्योग ने मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2013-14 पटल पर रखा.

7. नवम्बर-दिसम्बर, 2017 सत्र निर्धारित अवधि के पूर्व स्थगित हो जाने के फलस्वरूप शेष दिनांकों की प्रश्नोत्तरी तथा इसी सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

अध्यक्ष महोदय ने नवम्बर-दिसम्बर, 2017 सत्र निर्धारित अवधि के पूर्व स्थगित हो जाने के फलस्वरूप शेष दिनांकों की प्रश्नोत्तरी तथा इसी सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन पटल पर रखे जाने की घोषणा की.

8. नियम 267 - क के अधीन नवम्बर-दिसम्बर, 2017 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

अध्यक्ष महोदय ने नवम्बर-दिसम्बर, 2017 में नियम 267-क के अधीन पढ़ी गयी सूचनाओं तथा उनके शासन से प्राप्त उत्तरों का संकलन सदन के पटल पर रखे जाने की घोषणा की.

9. राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि विधान सभा के विगत सत्र में पारित 8 विधेयकों को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो गई है. अनुमति प्राप्त विधेयकों के नाम दर्शाने वाले विवरण की प्रतियां माननीय सदस्यों को वितरित कर दी गई हैं. इन विधेयकों के नाम कार्यवाही में मुद्रित किए जाएंगे :-

क्र.	राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त विधेयक	अधिनियम क्रमांक
(1)	मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-4)विधेयक, 2017 (क्रमांक 25 सन् 2017)	अधिनियम क्रमांक 31 सन् 2017
(2)	मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 24 सन् 2017)	अधिनियम क्रमांक 1 सन् 2018
(3)	मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 28 सन् 2017)	अधिनियम क्रमांक 2 सन् 2018
(4)	मध्यप्रदेश वृत्तिकर (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 31 सन् 2017)	अधिनियम क्रमांक 3 सन् 2018
(5)	मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2017 (क्रमांक 32 सन् 2017)	अधिनियम क्रमांक 4 सन् 2018
(6)	मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) विधेयक, 2017 (क्रमांक 30 सन् 2017)	अधिनियम क्रमांक 5 सन् 2018
(7)	मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस एवं संबंधित विषयों का विनियमन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 27 सन् 2017)	अधिनियम क्रमांक 6 सन् 2018
(8)	मध्यप्रदेश सहायता उपक्रम (विशेष उपबंध) निरसन विधेयक, 2017 (क्रमांक 29 सन् 2017)	अधिनियम क्रमांक 7 सन् 2018

10. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक मंगलवार, दिनांक 27 फरवरी, 2018 को सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित कार्यों पर चर्चा के लिये उनके सम्मुख अंकित समय निर्धारित करने की सिफारिश की गई है :-

क्रमांक	विषय	आवंटित समय
1.	वर्ष 2017-2018 के तृतीय अनुपूरक अनुमान की मांगों पर मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन, विचार एवं पारण.	2 घण्टे
2.	वर्ष 2005-2006 की अधिकाई अनुदानों की मांगों पर मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन, विचार एवं पारण.	30 मिनिट

डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि अभी अध्यक्ष महोदय ने जिन कार्यों पर चर्चा के लिए समय निर्धारण करने के संबंध में कार्य मंत्रणा समिति की जो सिफारिशें पढ़ कर सुनाई, उन्हें सदन स्वीकृति देता है.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

उपाध्यक्ष महोदय (डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.

11. ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री शैलेन्द्र पटेल, बहादुर सिंह चौहान एवं श्री सोहनलाल बाल्मीक, सदस्यगण ने प्रदेश में गेहूं की खरीदी शीघ्र प्रारंभ न किये जाने की ओर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री ओमप्रकाश धुर्वे, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री ने वक्तव्य दिया. श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री ने भी उत्तर दिया.

(2) श्री दिलीप सिंह शेखावत, सदस्य ने उज्जैन-जावरा बी.ओ.टी. सड़क मार्ग के किनारे नाली का निर्माण न किये जाने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री रामपाल सिंह, लोक निर्माण मंत्री ने वक्तव्य दिया.

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

12. सभापति तालिका की घोषणा

अध्यक्ष महोदय द्वारा मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 9 के उपनियम (1) के अधीन, निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए नाम निर्दिष्ट किया गया :-

(1) श्री कैलाश चावला
(2) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय
(3) श्रीमती नीना विक्रम वर्मा
(4) श्री ओमप्रकाश वीरेन्द्र कुमार सखलेचा
(5) श्री रामनिवास रावत
(6) श्री के.पी. सिंह

13. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों द्वारा याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं :-

(1) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को (जिला-अनूपपुर)
(2) श्री प्रहलाद भारती (जिला-शिवपुरी)
(3) श्री नीलांशु चतुर्वेदी (जिला-सतना)
(4) श्री संजय शर्मा (जिला-नरसिंहपुर)
(5) डॉ. गोविन्द सिंह (जिला-भिण्ड)
(6) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार (जिला-मुरैना)
(7) श्री दुर्गालाल विजय (जिला-श्योपुर)
(8) श्री मुरलीधर पाटीदार (जिला-आगर)
(9) डॉ. कैलाश जाटव (जिला-नरसिंहपुर)
(10) श्री पन्नालाल शाक्य (जिला-गुना)
(11) इंजी. प्रदीप लारिया (जिला-सागर)
(12) श्री नारायण सिंह पंवार (जिला-राजगढ़)

14. राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा

दिनांक 26 फरवरी, 2018 को राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर प्रस्तुत, कृतज्ञता ज्ञापन के निम्नलिखित प्रस्ताव पर श्री रामेश्वर शर्मा, सदस्य ने प्रारम्भिक भाषण दिया :-

"राज्यपाल महोदया ने जो अभिभाषण दिया, उसके लिए मध्यप्रदेश विधान सभा के इस सत्र में समवेत सदस्यगण अत्यन्त कृतज्ञ हैं"

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर उनके पास माननीय सदस्यों के 1840 संशोधनों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं. उनमें से जो संशोधन नियमानुसार नहीं थे, उन्हें अग्राह्य किया गया है। तदनुसार, सदन में उपस्थित निम्नलिखित 11 माननीय सदस्यों के संशोधन प्रस्तुत हुए माने गए :-

क्रमांक	सदस्य	संशोधन क्रमांक
1.	डॉ. गोविन्द सिंह	1
2.	श्री आरिफ अकील	2
3.	श्री सचिन यादव	3
4.	डॉ. रामकिशोर दोगने	4
5.	श्रीमती ऊषा चौधरी	6
6.	श्री सुखेन्द्र सिंह	9
7.	श्री नीलेश अवस्थी	10
8.	श्री रामनिवास रावत	11
9.	श्री रामपाल सिंह (ब्यौहारी)	12
10.	श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर	15
11.	श्री शैलेन्द्र पटेल	18

तत्पश्चात् कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव और संशोधनों पर एक साथ प्रारम्भ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भी भाग लिया:-

(2) डॉ. गोविन्द सिंह

(अपराह्न 1.31 से अपराह्न 3.13 बजे तक अन्तराल)

उपाध्यक्ष महोदय (डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.

(3) डॉ. कैलाश जाटव
(4) श्री शैलेन्द्र पटेल
(5) डॉ. मोहन यादव
(6) सुश्री हिना लिखीराम कावरे
(7) श्री बहादुर सिंह चौहान

सभापति महोदय (श्री रामनिवास रावत) पीठासीन हुए.

(8) श्री कमलेश्वर पटेल
(9) श्री ओमप्रकाश सखलेचा

उपाध्यक्ष महोदय (डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.

(10) डॉ. रामकिशोर दोगने (भाषण पूर्ण)

(चर्चा जारी)

अपराह्न 5.38 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 8 मार्च, 2018 (17 फाल्गुन, शक सम्वत् 1939) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

ए. पी. सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल:
दिनांक: 7 मार्च, 2018